

**नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017

भाग—एक

1. (क) प्रारम्भिक :—

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन(एल0ए0)खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षणाधीन अवधि में तैनात अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमती कृष्णा महाजन	प्रधान	1.4.2015 से 31.3.2017
2	श्री आर०एस० वर्मा	कार्यकारी अधिकारी	1.4.2015 से 31.3.2017

(ख) नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार।

क्र० सं०	अनियमितताओं का सार	पैरा सं०	राशि (₹) (लाखों में)
1.	अनुदान की राशि उपयोग हेतु शेष	5.1	283.28
2.	स्थापना पर अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय करना	6	22.29
3.	दुकानों के किराए की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7	23.04
4.	मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	8	1.50
5.	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	9	30.13
6.	दुकानों के किराए पर सर्विस टैक्स की वसूली न करना	12	1.80

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो कि अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करें, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद नूरपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 का वर्तमान अंकेक्षण श्री मोहिन्द्र सिंह सहायक नियन्त्रक तथा श्री शिव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.12.2017 से 18.1.2018 के दौरान नूरपुर में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु क्रमशः 10/2015, 2/2017 तथा 2/2016, 2/2017 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नूरपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण पाई गई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद नूरपुर के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹46800 (छयालीस हजार आठ सौ रुपये) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को भेजने के लिए अंकेक्षण अध्याचना संख्या 69, दिनांक 18.1.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नूरपुर से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद नूरपुर जिला कांगड़ा के लेखाओं अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

क्र०सं०	वर्ष	2015-16	2016-17
1	प्रारम्भिक शेष	14343192.59	43851289.59
2	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	47836346.00	36967737.00
3	स्वयं स्रोतों से प्राप्त आय	8130942.00	3820136.00
4	ब्याज की राशि	1623970.00	1786465.00
5	कुल योग	71934450.59	86425627.59
6	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	28083161	50355093.72
7	अन्तशेष	43851289.59	36070533.87

(क) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ वही अनुसार अन्तशेष

(i) रोकड़ वही 1 के अनुसार अन्तशेष	42798034.42	34951468.71
(ii) रोकड़ वही 2 के अनुसार अन्तशेष	487473.17	511717.17
(iii) रोकड़ वही 3 के अनुसार अन्तशेष	565782.00	607348.00
(SJSRY)		

योग ₹36070533.88

(ख) दिनांक 31.3.2017 को बैंक के बचत खातों व सावधि जमा में राशि	35792678.79
अन्तर	277855.09

4.1 बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "ग")

1. दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ वही के अनुसार अन्तिम शेष	36070533.87
2. दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ वही में दर्ज आय के चैक जो बैंक से भुनाए नहीं गए	(-) 479725.00

3. बैंक चार्जिज जो रोकड़ वही में दर्ज नहीं किए गए

(i) 1808.00

(ii) 3506.08

(iii) 479.00

(iv) 3382.00

₹9175.08

(-) 9175.08

3. हस्तगत राशि (31.3.17)

(-) 22670.00

4. दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ वही में दर्ज व्यय के
चैक जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए

(+) 228464

5. चैक संख्या: 345850, दिनांक 20.2.2015 ₹6890 का
भुगतान हेतु जारी किया गया, लेकिन बैंक द्वारा ₹5890
का भुगतान किया गया

(+) 1000

6. बी0डी0ओ0 नूरपुर द्वारा गृहकर की चैक सं0

(+) 784

55104435708 दिनांक 10.7.2014 दी गई राशि रोकड़
बही में दर्ज नहीं की गई

7. एस0बी0पी0 बैंक द्वारा खाता संख्या 7081 में दिनांक
30.3.2016 को अधिक राशि जमा की गई

(+) 3450

8. बैंक द्वारा चैक नं0 372923 दिनांक 20.6.15

(+) 17

₹139913 को ₹139896 डेबिट किया गया

31.3.2017 को बैंक खातों में राशि

₹35792678.79

4.2 नगर पंचायत नूरपुर जिला कांगड़ा द्वारा परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	स्टेट बैंक पटियाला नूरपुर	55104357081	1253952.18
2.	स्टेट बैंक पटियाला नूरपुर	65078075473	25934488.92
3.	हिमाचल ग्रामीण बैंक नूरपुर	88060100020810	4291361.30

4.	पंजाब नेशनल बैंक नूरपुर	100011018	56218.00
5.	स्टेट बैंक इण्डिया नूरपुर	11104350037	2096.62
6.	कांगड़ा सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक नूरपुर	20003040281	9779.00
7.	स्टेट बैंक पटियाला नूरपुर	65018531428	51811.00
8.	स्टेट बैंक पटियाला नूरपुर	65164797811	489263.00
9.	हिमाचल ग्रामीण बैंक नूरपुर	0128201	20324.17
10.	पंजाब नेशनल बैंक नूरपुर	10014963	2130.00
11.	एच0डी0एफ0सी0 बैंक		694502.00
12.	पी0एल0ए0 खाता		789.60
13.	स्टेट बैंक पटियाला	65224537516	70442.00

14 सावधि जमा

(i) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नूरपुर	65107034196	2370239.00
(ii) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला नूरपुर	65113231879	3385.00
(iii) कांगड़ा सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक नूरपुर	5063106183	541897.00

कुल योग

₹35792678.79

5 अनुदान :-

नगर परिषद नूरपुर जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ड." (i) (ii) पर दिया गया है।

वर्ष	2015-16	2016-17
1. प्रारम्भिक शेष	11871839.17	36315614.17
2. वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	47836346.00	36967737.00
3. कुल राशि	59708185.17	73283351.17
4. वर्ष के दौरान किया गया व्यय	23392571.00	44955145.00
5. अन्तशेष	36315614.17	28328206.17

5.1 अनुदान ₹283.28 लाख उपयोग हेतु शेष:-

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.3.2017 तक ₹28328206.17 अनुपयोगी पड़ी थी, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट (च से ध) में भी दिया गया है। अनुदान राशियों को प्रस्तावित उद्देश्य हेतु विहीत समय अवधि में उपयोग किया जाना अपेक्षित था, लेकिन परिषद द्वारा इन राशियों को निर्धारित समय में व्यय नहीं किया गया। परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹28328206.17 व्यय हेतु शेष थी। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों का समय पर उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग अनुदान राशियों को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्यों हेतु जिन हेतु यह राशि प्राप्त हुई थी व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.2 उपयोग की गई ₹899.65 लाख के अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी न करना :-

नगर परिषद नूरपुर द्वारा अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 तक निम्नविवरणानुसार ₹89965144 विभिन्न अनुदानों से व्यय किया परन्तु इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए थे। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा व्यय की जा चुकी सरकारी अनुदानों की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

क्र० सं०	विवरण	वर्ष	राशि (व्यय)
1.	VKVNY	2013-14	1440000
		2014-15	162269
		2015-16	280344
		2016-17	279769

2	MPLAD	2013-14	551552
		2014-15	
		2015-16	716583
		2016-17	4322550
3	DC Grants	2013-14	297983
		2014-15	649702
		2015-16	1367366
		2016-17	1178512
4	Rain Damage	2013-14	79758
		2016-17	—
5	13 th Finance Commission	2015-16	3621227
6	Tourism Grant	2013-14	1270758
		2016-17	115622
7	4 th Finance Comission	2015-16	13739113
		2016-17	13884273
8	Maintenance of ULB Roads	2015-16	1663252
		2016-17	781580
9	RGURF	2015-16	41417
		2016-17	
10	SJSRY	2013-14	64212
		2014-15	2101194
		2015-16	260000
		2016-17	
11	Sewerage Scheme	2014-15	15000000
		2015-16	15000000
12	Swach Bharat Mission	2015-16	36400
		2016-17	10700
13	14 th Finance Commission	2015-16	1666869
		2016-17	5607184
14	Parking	2016-17	2504701
15	Construction of Park	2016-17	1270254
योग			₹89965144

6 स्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹22.29 लाख का अधिक व्यय करना:—

हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 53 (1) में दिए गए दिशा निर्देशों तथा निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच (ए) 1/87/9237—84 दिनांक 20.6.2001 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नगर परिषदों में स्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु सीमित किया गया था, परन्तु नगर परिषद द्वारा निम्नानुसार निर्धारित सीमा से ₹2229002 का अधिक व्यय किया गया।

वर्ष	कुल व्यय	अपेक्षित 1/3 तक स्थापना व्यय	वास्तविक स्थापना व्यय	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय
2015—16	28083161	9361054	10489511	1128457
2016—17	30101032	10033677	11134222	1100545
	निर्धारित सीमा से अधिक व्यय			2229002

अतः अधिक व्यय की राशि का सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 दुकानों के किराए की बकाया राशि ₹23.04 लाख वसूली हेतु शेष

किराया मांग व संग्रहण रजिस्ट्रों के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2017 तक दुकानों के किराए की बकाया राशि ₹2304319 की वसूली करनी शेष थी। इस राशि का पूर्ण विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "न" में दर्शाया गया है परिषद द्वारा मासिक किराए की राशि नियमित रूप से प्राप्त करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है जोकि अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मासिक किराए की राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाए।

8 मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि ₹1.50 लाख वसूली हेतु शेष:—

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट (प) पर उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार दिनांक 31.3.2017 तक मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि ₹150000 वसूली हेतु शेष थी इसके अतिरिक्त जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा मोबाईल टावर शुल्क के मांग व संग्रहण रजिस्टर का भी उचित रख रखाव नहीं किया गया था। अतः मांग व संग्रहण रजिस्टर का

उचित रख रखाव तथा उक्त वर्णित राशि की अतिशीघ्र वसूली की जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

9 गृहकर की बकाया राशि ₹30.13 लाख वसूली हेतु शेष:-

दिनांक 31.3.2017 तक गृहकर दाताओं से ₹3013487 की वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट (फ) में दिया गया है। नगर परिषद नूरपुर द्वारा गृहकर की बकाया राशि की वसूली करने के लिए कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई जोकि चिन्ता का विषय है। अतः गृहकर की नियमित रूप से वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली हेतु अतिशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए ताकि परिषद के विकास कार्य सुचारु रूप से निष्पादित किए जा सकें।

10 बिजली उपकर की प्राप्ति न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG(B)(1)-9/94 दिनांक 8.11.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद की सीमा के भीतर उपयोग की गई बिजली पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली विभाग द्वारा बिजली उपकर प्राप्त करके सम्बन्धित नगर परिषद को अदा करना था। जाँच में पाया गया कि नगर परिषद नूरपुर द्वारा बिजली उपकर की प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख नहीं रखा गया था और न ही सम्बन्धित विभाग द्वारा अंकेक्षण अवधि का उपकर नगर परिषद को भुगतान किया गया था जिसकी प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 शराब उपकर से सम्बन्धित अभिलेख नहीं रखना:-

नगर परिषद नूरपुर को वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद की सीमा में बिक्री की गई शराब पर निम्नविवरणानुसार शराब उपकर के रूप में राशि प्राप्त हुई।

वर्ष	दिनांक	चैक सं०	राशि
2015-16	25.2.16	058229	673820
2016-17	21.4.17	681381	673796

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा उपरोक्त शराब उपकर के सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग में परिषद की सीमा के भीतर शराब की बोटलों की बिक्री का अभिलेख प्राप्त नहीं किया गया था जिसके अभाव में शराब उपकर राशि की पुष्टि नहीं की

जा सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि सम्बन्धित विभाग से बिक्री की गई शराब का पूरा ब्यौरा प्राप्त किया जाए ताकि प्राप्त राशि की पुष्टि की जाए व भविष्य में भी आवश्यक अभिलेख रखना सुनिश्चित किया जाए। तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

12 दुकानों/भवनों के प्राप्त किराए पर सेवाकर न वसूलने के कारण ₹1.80 लाख की हानि:—

भारत सरकार द्वारा वित्त अधिनियम 1994 (32 of 1994) द्वारा सर्विस टैक्स लागू किया गया था तथा अधिसूचना संख्या 23/2007 -ST दिनांक 22.5.2007 द्वारा अचल सम्पत्ति को किराए पर देने पर 1.6.2007 से सेवाकर वसूलना व राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अनिवार्य किया था। नगर परिषद नूरपुर के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा दुकानों/भवनों के किराए पर 1.6.2007 से सेवाकर न तो वसूला गया और न ही जमा करवाया गया था **परिशिष्ट (न)** में दर्शाए गए विवरणानुसार दुकानों से प्राप्त किराए पर अवधि 2015-16, 2016-17 के दौरान निम्न प्रकार से सेवाकर की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

वर्ष	प्राप्त किराया राशि	सर्विस टैक्स दर	कुल वसूली
2015-16	582214	14.5%	84421
2016-17	634824	15%	95224
कुल योग			₹179645

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार दुकानों/भवनों के किराएदारों से सेवाकर सहित किराये की वसूली सुनिश्चित की जाए व बकाया सर्विस टैक्स की वसूली हेतु भी ठोस निर्णय लिया जाए ताकि नगर परिषद को उक्त अधिनियम/अधिसूचना की पालना न करने के फलस्वरूप दण्ड प्रभार के रूप में अनावश्यक हानि न उठानी पड़े। तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13 ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान

वाउचर संख्या 38 दिनांक 2/2016 ₹39160

वाउचर संख्या 40 दिनांक 2/2016 ₹54720

कार्य का नाम (i) P/F Alluminium Door & window to President Room

(ii) P/F Alluminium Door & window to Executive offices & room

आबंटन पत्र संख्या MCN work (90) दिनांक 18.1.16 MCN 89 dated 18.1.16

ठेकेदार का नाम:- M/S Viswa karma, Alluminium and steel industry Pathankot

माप पुस्तिका संख्या 79 पृ0स0 55 से 59

नगर परिषद के उपरोक्त निर्माण कार्य के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ठेकेदार को निम्न विवरणानुसार न्यायोचित दर (Negotiated rate) के बदले अधिक दर पर भुगतान किया गया था। अतः इस प्रकार ठेकेदार को गलत दर से भुगतान करने के कारण ₹7458 का अधिक भुगतान किया गया जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की राशि की उचित स्रोत से वसूली करके अपेक्षित अनुपालना से अंकक्षण को अवगत करवाया जाए।

	कार्य का नाम	मद सं0	मात्रा	भुगतान की गई दर	कुल भुगतान	Negotiated Rate	Total	Excess Paid
(i)	P/F Alluminium door to President Room	(10) P/F 12mm thick Presheet for door	0.46sqm	700	322	82	37.72	284.28
		(12) P/F 5mm thick ruber seal to glass	34.72 mtr.	100	3472	20	694.20	2777.60
(ii)	P/F Alluminium door to E.O. office	(10) P/F 12mm thick PVC sheet for door	4.11 sqm	700	2877	82	337.02	2539.98
		(11) P/F 5mm thick ruber seal to glass	23.20 mtr.	100	2320	20	464	1856
						Total		₹7457.86

इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त ठेकेदार/फर्म को वाउचर संख्या 39 व वाउचर संख्या 41 दिनांक 18.1.16 द्वारा P/F PVC sheet for wall

paneling of President room व P/F sheet for well penelling for E.O. room के कार्य हेतु क्रमशः ₹54720 व ₹60664 का भुगतान किया गया । अतः इस प्रकार उपरोक्त कार्य को छोटे-2 कार्यों में विभाजित करके एक ही ठेकेदार से कार्य करवाया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि उपरोक्त कार्यों को निष्पादित करवाने हेतु नगर परिषद की बैठक में प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन भी नहीं करवाया गया था। अतः नियमों की अनदेखी कर एक कार्य को छोटे-2 कार्यों में विभाजित किए जाने बारे व नगर परिषद से इस कार्य को अनुमोदित न करवाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विभिन्न निर्माण कार्यों के बिलों के साथ अनुमोदित अतिरिक्त मद/प्रस्थापित मद व सीमेंट खपत विवरणी (Extra item/Substituted item statements & cement consumption statement) को प्रस्तुत न करना:-

नगर परिषद के अवधि 2015-16, 2016-17 के लेखों के चयनित माह 2/16, 2/17 के दौरान भुगतान किए गए निर्माण कार्यों के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मद/प्रस्थापित मद (Extra item/substituted item) निष्पादित करवाई गई थी परन्तु इनकी दरें न्यायोचितता (Justification) सहित सक्षम अधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाई गई थी। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न मदों पर ठेकेदारों द्वारा उपयोग सीमेंट की खपत विवरणी cement Consumption statement -1) भी बिलों के साथ संलग्न नहीं की गई थी। अतः विभिन्न मदों की अतिरिक्त मद/प्रस्थापित मद (extra item/ substituted item) की सक्षम अधिकारी से अनुमोदित दरें व सीमेंट खपत विवरणियाँ आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाएं।

क्र०सं०	वा०सं० व कार्य का नाम			
1	Vr. 34 of 2/16 `86577			
	C/O Pucca path up to H/O Sh. Tilak Mahajan Advocate MB 79 Page 63			
(i)	Substituted item excavation in earth work and disposal of all excavated earth upto 20mtr	Oty 29.20	Rate 180	Total 5256
(ii)	Extra item P/L 1:2:4 50 mm thick C.C.	14.19	285	4044
(iii)	Cement consumed 20 bag			

2	Vr. 35 2/16 `45796			
	Construction of drain near the house of sh. Sham lal MB 79 page 61			
(i)	Extra item P/L 1:2:4 C.C. 1	2.55 cum	4000	10200
(ii)	Cement consumed 55 bag			
3	Vr. 42 2/2017 `46096			
	C/O edge wall & street near H/O Sh. Bihari lal			
(i)	Cement consumed 100 bage		Total	19500

15. स्टील की खरीद सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेता से न करने बारे:-

(i) वाउचर संख्या 32 2/2017 ₹1632052 की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा M/S Gorav Agency Raja ka bag Nurpur से उनके बिल संख्या 20 दिनांक 10.12.16 द्वारा ₹1632052 का 8 m, 10mm, 16mm, 25mm व 32mm का स्टील खरीदा गया था। जबकि प्रबन्धक, हिमाचल औद्योगिक निगम (HPSIDC) द्वारा पत्र संख्या 4-145/2016 दिनांक 5.12.16 द्वारा नगर परिषद, नूरपुर को उनके माध्यम से स्टील की खरीद करने के लिए सूचित किया था। अतः उपरोक्त स्टील सरकारी निगम से न खरीद कर M/S Gorav Agencies Raja ka bag Nurpur से क्रय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा स्टील की खरीद को सक्षम अधिकारी की कार्यात्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) अभिलेख की छानबीन करने पर यह भी पाया गया कि उपरोक्त स्टील को ठेकेदार सुरेश कुमार को C/O Parking & shopping complex निर्माण कार्य के लिए सीधा ही जारी कर दिया गया जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। स्टील खपत की मदवार विवरणी की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

16 नगर परिषद के अवधि 1.5.16 से 31.3.17 के सफाई ठेके के आबंटन में गत वर्ष की तुलना में अत्याधिक वृद्धि

वाउचर संख्या 40 2/2017 ₹172059 M/S Neel Kamal Nurpur

(i) नगर परिषद के उपरोक्त वाउचर व अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नूरपुर के विभिन्न वार्डों के अवधि 2016-17 की सफाई व्यवस्था हेतु टेण्डर नोटिस संख्या

M.CN (works) 539-543 दिनांक 12.4.16 द्वारा टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे। उपरोक्त कार्य के लिए चार ठेकेदारों ने टेण्डर भरे थे तथा सबसे कम दर पर M/S Neel Kamal Nurpur को ₹6750 (270 x 25) प्रति दिन की दर से कार्य आबंटित किया गया जोकि निम्नविवरणानुसार गत वर्ष की तुलना में अत्याधिक दर पर आबंटित किया गया प्रतीत होता है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। गत वर्ष 2015-16 में आबंटित उपरोक्त कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है:-

ठेकेदार का नाम	वर्ष	दर	ठेकेदार का नाम	वर्ष	दर
M/S neel Kamal	2015-16	220x19=4180 per day	M/S neel Kamal	2016-17	270x25=6750 per day

17. **सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर व MAS का उचित रख रखाव न करना:-**

नगर परिषद के अवधि 2015-16, 2016-17 के सीमेंट स्टॉक रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 26 दिनांक 20.9.15 को $331+200=551$ बैग दर्शाए गए जबकि वास्तव में $331+200=531$ बैग दर्शाए जाने चाहिए थे। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 26 दिनांक 19.10.15 को $716-60=666$ बैग दर्शाए गए जबकि वास्तव में $716-60=656$ बैग दर्शाए जाने थे। स्टॉक रजिस्टर से दिनांक 29.10.15 को 36 बैग में से ठेकेदार को 30 बैग जारी किए गए थे जबकि स्टॉक रजिस्टर में दिनांक 29.10.15 को वास्तव में 6 बैग ही शेष थे। उक्त प्रकरणों से यह प्रतीत होता है कि सीमेन्ट रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं किया गया है। M.A.S, की जाँच करने पर पाया गया कि MAS को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया है तथा निर्माण कार्यों का नाम भी नहीं लिखा गया है। अतः सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर व MAS रजिस्टर का सही ढंग से रख रखाव किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

18. **स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-**

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर/स्टॉक में पड़ी मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद नूरपुर द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना है। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक लेखों में

किसी भी दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

- 19 नगर परिषद नूरपुर द्वारा निम्नानुसार दर्शाए गए अभिलेखों का उचित रख-रखाव नहीं किया गया था। विभिन्न अभिलेखों में आधी अधूरी प्रविष्टियाँ की गई है। अतः अभिलेखों का नियमानुसार रख रखाव सुनिश्चित किया जाए।

- (i) मोबाइल टावर रजिस्टर
- (ii) दूरभाष तथा बिजली रजिस्टर
- (iii) प्रतिभूति प्राप्ति रजिस्टर
- (iv) Tender form sales Register
- (v) अनुदान रजिस्टर
- (vi) पेन्शन रोकड़ बही
- (vii) संविदाकार खाता बही
- (viii) विज्ञापन रजिस्टर

20. लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

21. निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

फोन नं0 0177-26020881

पृष्ठांकन संख्या :- V(8)2012-फिन(एल0ए0डी0)-खण्ड-2-4659-4660दिनांक:04.07.2018
शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत :
- 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद नूरपुर, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।
 - 2 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

फोन नं0 0177-2620881

परिशिष्ट "क" (अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित)

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1986

1 पैरा 12(ई) अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1986 से 3/1988

1 पैरा 5(बी) अनिर्णीत

2 पैरा 5(सी) अनिर्णीत

3 पैरा 5(डी) अनिर्णीत

4 पैरा 10 अनिर्णीत

5 पैरा 11 अनिर्णीत

6 पैरा 15 अनिर्णीत

7 पैरा 16(डी) अनिर्णीत

8 पैरा 16(ई) अनिर्णीत (केवल 35 बोरी सीमेन्ट की वसूली मापन पुस्तिका संख्या: 17/91 व 19/21 द्वारा कर ली गई)

9 पैरा 16(एफ) अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1990

1 पैरा 3(ड) अनिर्णीत

2 पैरा 7 अनिर्णीत

3 पैरा 9(2) अनिर्णीत

4 पैरा 10 अनिर्णीत

5 पैरा 11 अनिर्णीत (आंशिक रूप से निर्णीत)

6 पैरा 12(बी)(2) अनिर्णीत

7 पैरा 12(सी)(2) अनिर्णीत

8 पैरा 12(डी)(2) अनिर्णीत

9 पैरा 12(ई) अनिर्णीत

10 पैरा 12(एच)(1) अनिर्णीत

11 पैरा 12(आई)(3) अनिर्णीत

12 पैरा 12(एम) अनिर्णीत

13 पैरा 14(4) अनिर्णीत

14	पैरा 14(6)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(11)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(12)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/2000

1	पैरा 3(ग)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत (अनुदानों की सूची)
3	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत (अनुदानों की सूची)
4	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
5	पैरा 6	अनिर्णीत
6	पैरा 7	अनिर्णीत
7	पैरा 8(क)	अनिर्णीत
8	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
9	पैरा 8(ग)	अनिर्णीत
10	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
11	पैरा 9(ख)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(क)(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 10(क)(3)	अनिर्णीत
14	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
16	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
17	पैरा 10(ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा 10(च)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(ज)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(थ)	अनिर्णीत
21	पैरा 12(ब)	अनिर्णीत
22	पैरा 12(म)	अनिर्णीत
23	पैरा 12(य)	अनिर्णीत
24	पैरा 12(व)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(ख)	अनिर्णीत

26	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत
27	पैरा 13(घ)(1)	अनिर्णीत
28	पैरा 13(ज)(3)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2007

1	पैरा 1	अनिर्णीत
2	पैरा 2(ii)	अनिर्णीत
3	पैरा 2(iii)	अनिर्णीत
4	पैरा 2(iv)	अनिर्णीत
5	पैरा 2(v)	अनिर्णीत
6	पैरा 2(vi)	अनिर्णीत
7	पैरा 2(vii)	अनिर्णीत
8	पैरा 2(viii)	अनिर्णीत
9	पैरा 3	अनिर्णीत
10	पैरा 4(ii)	अनिर्णीत
11	पैरा 4(iii)	अनिर्णीत
12	पैरा 4(iv)	अनिर्णीत
13	पैरा 4(vii)	अनिर्णीत
14	पैरा 4(viii)(a)	अनिर्णीत
15	पैरा 4(viii)(b)	अनिर्णीत
16	पैरा 4(viii)(c)	अनिर्णीत
17	पैरा 4(viii)(d)	अनिर्णीत
18	पैरा 4(viii)(e)	अनिर्णीत
19	पैरा 4(viii)(f)	अनिर्णीत
20	पैरा 4(ix)(a)	अनिर्णीत
21	पैरा 4(x)(a)	अनिर्णीत
22	पैरा 4(x)(b)	अनिर्णीत
23	पैरा 4(xii)	अनिर्णीत
24	पैरा 4(xiii)	अनिर्णीत
25	पैरा 4(xiv)	अनिर्णीत

26	पैरा 4(xv)(a)	अनिर्णीत
27	पैरा 4(xv)(b)	अनिर्णीत
28	पैरा 4(xvi)	अनिर्णीत
29	पैरा 4(xvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 5(i)	अनिर्णीत
31	पैरा 5(v)	अनिर्णीत
32	पैरा 5(vi)	अनिर्णीत
33	पैरा 5(vii)	अनिर्णीत
34	पैरा 5(viii)	अनिर्णीत
35	पैरा 6(i)(क,ख)	अनिर्णीत
36	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 6(v)	अनिर्णीत
38	पैरा 6(vi)	अनिर्णीत
39	पैरा 6(ix)	अनिर्णीत
40	पैरा 6(x)	अनिर्णीत
41	पैरा 6(xiii)	अनिर्णीत
42	पैरा 6(xiv)	अनिर्णीत
43	पैरा 7(ii)	अनिर्णीत
44	पैरा 7(iii)	अनिर्णीत
45	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
46	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
47	पैरा 7(viii)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011

1	पैरा 4	अनिर्णीत
2	पैरा 5	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 11	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

7	पैरा 15	अनिर्णीत
8	पैरा 16	अनिर्णीत
9	पैरा 17	अनिर्णीत
10	पैरा 18	अनिर्णीत
11	पैरा 20	अनिर्णीत
12	पैरा 21	अनिर्णीत
13	पैरा 22	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9(i)(ii)	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 14	अनिर्णीत
7	पैरा 15(i)(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा 18	अनिर्णीत
9	पैरा 19	अनिर्णीत
10	पैरा 20	अनिर्णीत
11	पैरा 21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 के पैरा संख्या 4 में दर्शाई गई है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 के पैरा संख्या 5 में दर्शाई गई है)
4	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 के पैरा संख्या 6 में दर्शाई गई है)
5	पैरा 7 व 7 (i)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.15 से 31.3.2017 के पैरा संख्या 8, 9 व 10 में दर्शाई गई है)

6	पैरा 7 (2)	अनिर्णीत	
7	पैरा 7 (3)	अनिर्णीत	
8	पैरा 8 (1) क्र०सं० 2	निर्णीत	(जी —8 नं० 134 / 26 दिनांक 18.1.18 द्वारा ₹23886 की वसूली की पुष्टि कर ली गई)
9	पैरा 8 (2)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने उपरान्त)
10	पैरा 8 (3)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने उपरान्त)
11	पैरा 8 (4)	निर्णीत	(सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने उपरान्त)
12	पैरा 9	अनिर्णीत	
13	पैरा 10	अनिर्णीत	
14	पैरा 11 (1) से (5)	अनिर्णीत	
15	पैरा 11 (6)	आंशिक निर्णीत	(इन्डेंट सं० 17 / 15 दिनांक 3.7.15 25 बोरी की वसूली जी—8 134 / 27 दिनांक 18.1.18 द्वारा ₹6075 कर ली गई है)
16	पैरा 12	अनिर्णीत	
17	पैरा 13	अनिर्णीत	
18	पैरा 14	निर्णीत	(प्रविष्टि देखने उपरान्त)
19	पैरा 15	अनिर्णीत	
20	पैरा 16	अनिर्णीत	
21	पैरा 17	अनिर्णीत	
22	पैरा 18	अनिर्णीत	
23	पैरा 19	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरा का सार

प्रारम्भिक शेष	148
लगाए गए पैरे	17
निर्णीत पैरे	9
अन्तशेष	156